इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्‌वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्‌ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 11 अंक : 5 दिसम्बर, 2018 पृष्ठों की संख्या 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ --2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ---5
नयी नियुक्तियाँ--6
विदेशी मुद्रा ---6
शब्दावली ---7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी --------------------------------------7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---------------------------------------8
संस्थान समाचार ---8
नयी पहलकदमी --- 13
बाजार की खबरें ---14

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने शिथिल किए आस्ति प्रतिभूतिकरण नियम

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्र में विद्यमान दबाव को कम करने के एक अभियान में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) के मामले में उनकी ऋण बहियों को बेचने या प्रतिभूत करने के लिए नियमों को शिथिल कर दिया है। तदनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ अब 5 वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाले ऋणों को अपनी बहियों में छ: माह तक रखने के बाद उन्हें प्रतिभूत करवा सकती हैं। हालांकि, उक्त छूट उस समय प्रदान की जाएगी जब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी इन ऋणों के बही-मूल्य का 20% अपने पास बनाए रखे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मामले में बढ़ाई गई ब्याजगत आर्थिक सहायता

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पोतलदान-पूर्व और पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण पर ब्याजगत आर्थिक सहायता को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। निर्यातकों को यह आर्थिक सहायता पोतलदान-पूर्व और पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण (equalization) योजना के अधीन प्राप्त होती है।

बैंकों के लिए निवल स्थिर निधीयन अनुपात अप्रैल, 2020 से : भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (NSFR) मानदंड जो बैंकों के लिए उनकी आस्तियों की संरचना तथा तुलनपत्र-बाह्य कार्यकलापों की तुलना में स्थिर निधीयन प्रोफाइल बनाए रखना अनिवार्य बनाता है, अप्रैल, 2020 से लागू कर दिया जाएगा। निवल स्थिर निधीयन अनुपात आवश्यक स्थिर निधीयन की रकम की तुलना में उपलब्ध स्थिर निधीयन की रकम होता है। 2007 में आरंभ हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) ने एक अधिक आघात-सह (resilient) बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को सुदृढ़ करने हेतु कुछेक सुधार प्रस्तावित किए।

सेबी ने घोषित किए प्रतिभूतियों को भौतिक रूप में हस्तांतरित करने हेतु मानदंड

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ऐसे शेयरों के रूपान्तरण में निवेशकों के समक्ष उपस्थित होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से प्रतिभूतियों के भौतिक विधि से हस्तांतरण के लिए एक मानक रूपरेखा जारी की है। तदनुसार, 1 दिसंबर, 2015 से पहले निष्पादित हस्तांतरण विलेखों को अब हस्तांतरणकर्ता की स्थायी खाता संख्या (PIN) के साथ या उसके बिना पंजीकृत किया जा सकता है। शेयर प्रमाणपत्र अथवा हस्तांतरण विलेख में मौजूद नाम की तुलना में पैन कार्ड में मौजूद नाम में बेमेल होने की स्थिति में हस्तांतरण को निम्नलिखित चार में से किसी भी एक दस्तावेज़ के प्रस्तुत किये जाने पर पंजीकृत किया जाएगा- पासपोर्ट, विवाह प्रमाणपत्र, आधार कार्ड या नाम में परिवर्तन के संबंध में राजपत्र (gazette) अधिसूचना की प्रति। इनकी अनुपलब्धता या हस्तांतरणकर्ता के हस्ताक्षर में महत्वपूर्ण बेमेल होने पर हस्तांतरणकर्ता द्वारा आरटीए/कम्पनी को एक शपथपत्र (affidevit) के साथ बैंक द्वारा अनुप्रमाणित हस्ताक्षर तथा निरस्त चेक प्रस्तुत करके अपने हस्ताक्षर को अद्यतन करवा लिया जाना चाहिए।

सेबी ने रेटिंग एजेंसियों के लिए कठोर बनाए मानदंड

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने साख श्रेणी निर्धारण एजेंसियों के लिए प्रकटन और पुनरीक्षण मानदंडों को उन्हें यह आदेश देते हुये कठोर बना दिया है कि वे किसी निर्गमकर्ता के चुकौती कार्यक्रम पर निगरानी रखते समय और आस्ति-देयता में किसी

भी प्रकार के असंतुलन का पुनरीक्षण करते समय उसकी चलनिधि स्थितियों में गिरावट का विश्लेषण करें। साख श्रेणी निर्धारण एजेंसियों को अनिरुद्ध (नकद) निवेशों अथवा नकदी शेषों, किसी अप्रयुक्त ऋण व्यवस्था के उपयोग तथा चलनिधि के संबंध में किसी विशिष्ट क्षेत्र में नकदी प्रवाहों की पर्याप्तता जैसे मापदण्डों का भी प्रकटन करना होगा।

सेबी ने जारी किए आईएफएससी में वैकल्पिक निवेश निधियों के लिए दिशानिर्देश

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (IFSCs) में वैकल्पिक निवेश निधियाँ गठित करने के लिए पंजीकरण, अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं और प्रतिबंधों के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के अधीन न्यास, कंपनी, सीमित देयता भागीदारी अथवा निगमित निकाय के रूप में स्थापित या निगमित कोई भी निधि वैकल्पिक निवेश निधि (AIF) के रूप में पंजीकरण करवा सकती है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कार्यरत वैकल्पिक निवेश निधि को निवेश करने की अनुमति होगी। वैकल्पिक निवेश निधि की प्रत्येक योजना की मूल निधि कम से कम 3 मिलियन अमरीकी डालर होगी। वैकल्पिक निवेश निधि को किसी निवेशक से न्यूनतम 1,50,000 अमरीकी डालर मूल्य का निवेश स्वीकार करना होगा। प्रबंधन अथवा प्रायोजक को वैकल्पिक निवेश निधि में निवेश के रूप में मूल निधि का न्यूनतम 2.5% अथवा 7,50,000 अमरीकी डालर, इनमें से जो भी कम हो, का सतत आधार पर हित रखना होगा तथा इसप्रकार का हित प्रबंधन शुल्कों में छूट के रूप में नहीं होगा।

प्रवर्तक के सार्वजनिक निवेशक के रूप में पुनर्वर्गीकरण हेतु सेबी के नए नियम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने प्रवर्तक के सार्वजनिक निवेशक के रूप में पुनर्वर्गीकरण के लिए ऐसे नए नियम जारी किए हैं जिनके द्वारा किसी निवर्तमान प्रवर्तक को विशेष अधिकारों और उनके साथ ही सूचीबद्ध फर्म के कामकाज पर नियंत्रण का त्याग करना होगा तथा उसे 10% से अधिक का हित रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तक को निदेशक मण्डल में किसी प्रतिनिधि को रखने अथवा उक्त सूचीबद्ध कंपनी में किसी व्यक्ति को प्रमुख प्रबंधकीय पद पर रखने की

अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, पुनर्वर्गीकरण चाहने वाले प्रवर्तक को इरादतन चूककर्ता अथवा

भगोड़ा आर्थिक अपराधी हरगिज नहीं होना चाहिए। इन मानदंडों से निवर्तमान प्रवर्तकों को उक्त कंपनी के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नियंत्रण रखने से रोका जा सकेगा।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने मूलभूत सुविधा कंपनियों के लिए शिथिल किए मानदंड

भारतीय रिजर्व बैंक ने मूलभूत सुविधा क्षेत्र में बाह्य वाणिज्यिक उधारों हेतु न्यूनतम औसत परिपक्वता अपेक्षा को वर्तमान 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है। उक्त परिवर्तन से मूलभूत सुविधा कंपनियों और बैंकों के लिए विदेशी ऋण बाज़ारों से ऋण लेना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बचाव व्यवस्था (hedging) से संबन्धित नियमों को भी शिथिल कर दिया है। उसने 3 से 5 वर्षों के बीच की न्यूनतम औसत परिपक्वता वाले इस प्रकार के उधारों के लिए अनिवार्य व्याप्ति (coverage) को 100% से घटाकर 70% कर दिया है। इस कार्रवाई से ऊपर वर्णित कंपनियों के लिए विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने की लागत कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे पात्र उधारकर्ताओं, जिन्होंने (26 नवम्बर को जारी) बचाव व्यवस्था से संबन्धित प्रावधान के पुनरीक्षण संबंधी परिपत्र की तिथि से पहले बाह्य वाणिज्यिक उधार लिया था, के लिए अनिवार्य रूप से यह आवश्यक हो जाएगा कि वे अपनी मौजूदा बचाव व्यवस्थाओं का विस्तारण बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार के केवल 70% तक ही करें।

भारतीय रिजर्व बैंक ने शिथिल की सरकार द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियों की उधार नीति

सरकार द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को तेल की बढ़ती कीमतों और रुपये में गिरावट के कारण तेल का आयात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। इन कठिनाइयों से निजात पाने की एक मुहिम में भारतीय रिजर्व बैंक ने तेल

विपणन कंपनियों को कार्यशील पूंजी के रूप में 10 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी ऋण जुटाने में समर्थ बनाने के लिए अपनी उधार नीतियों को आसान बना दिया है। इसके पहले तेल विपणन कंपनियाँ क्रेता के ऋण के रूप में केवल 1 वर्षीय विदेशी ऋण जुटा सकती थीं। हालांकि, नए प्रावधान के तहत तेल विपणन कंपनियाँ कार्यशील पूंजी के उद्देश्य से स्वत: मार्ग के अधीन सभी मान्यताप्राप्त ऋणदाताओं से न्यूनतम 3/5 वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि वाले बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटा सकती हैं।

नई नियुक्तियाँ

नाम	**पदनाम/संगठन**
श्री अतुल कुमार गोयल	यूको बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	23 नवम्बर, 2018 के दिन बिलियन रुपए	23 नवम्बर, 2018 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	28,015.20	3,92,785.20
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,170.70	3,67,699.70
1.2 सोना	1,553.60	20,998.20
1.3 विशेष आहरण अधिकार	103.7	1,457.20
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	187.2	2,630.10

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

दिसम्बर, 2018 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	2.89900	2.976	2.980	2.957	2.954
जीबीपी	0.99910	1.157	1.237	1.299	1.348
यूरो	-0.21000	-0.152	-0.017	0.132	**0.276**
जापानी येन	0.02500	0.038	0.050	0.061	0.084
कनाडाई डालर	2.55000	2.5440	2.5860	2.6080	2.6250
आस्ट्रेलियाई डालर	1.97000	2.051	2.144	2.393	2.475
स्विस फ्रैंक	-0.63000	-0.550	-0.415	-0.282	-0.157
डैनिश क्रोन	-0.11590	-0.019	0.130	0.284	0.427
न्यूज़ीलैंड डालर	2.04500	2.140	2.253	2.368	2.485
स्वीडिश क्रोन	-0.18000	-0.015	0.163	0.337	0.501
सिंगापुर डालर	1.958	2.018	2.076	**2.126**	2.18
हांगकांग डालर	2.42	2.565	2.655	2.705	2.735
म्यामार	3.715	3.73	3.77	3.83	3.87

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (NSFR)

निवल स्थिर निधीयन अनुपात को अपेक्षित स्थिर निधीयन की तुलना में उपलब्ध स्थिर निधीयन की रकम के रूप में परिभाषित किया गया है। ”उपलब्ध स्थिर निधीयन”(ASF) को निवल स्थिर निधीयन अनुपात द्वारा सुविचारित (माने गए) समय संस्तर में विश्वसनीय मानी जाने वाली पूंजी और देयताओं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी विशिष्ट संस्था की अपेक्षित निधीयन (”अपेक्षित स्थिर निधीयन”) की रकम चलनिधि विशेषताओं का फलन और उस संस्था द्वारा धारित विविध आस्तियों तथा उनके साथ ही उनके तुलनपत्र-बाहय एक्सपोजरों की अवशिष्ट परिपक्वतायें होती है।

वितीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

प्रतिलाभ दर

जब कोई व्यक्ति किसी बांड में निवेश करता है, तो उसे एक नियमित कूपन का भुगतान प्राप्त होता है। बांड की कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक पूंजीगत अभिलाभ या

हानि होती है। प्रतिलाभ की दर (कूपन की आय + कीमत में परिवर्तन)/निवेश से ज्ञात होती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

दिसंबर, 2018 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	17 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2018 तक	हैदराबाद
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	10 दिसंबर से 12 दिसंबर, 2018 तक	चेन्नै
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	17 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2018 तक	एर्णाकुलम
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र में परीक्षोंपरांत कक्षा में शिक्षण	18 दिसंबर से 20 दिसंबर, 2018 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत कक्षा में शिक्षण	11 दिसंबर से 13 दिसंब तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

शिक्षण नेतृत्व पुरस्कार

संस्थान को विजिनेस स्कूल अफेयर और देवांग मेहता नेशनल एजूकेशन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। उक्त पुरस्कार 28 नवंबर, 2018 को ताज लैण्ड्स एंड, बांद्रा (पश्चिम), मुम्बई में आयोजित एक समारोह में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फैननैन्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा प्राप्त किया गया।

20 दिसंबर, 2018 को गुवाहाटी में बैंकर जागरूकता सम्मेलन

संस्थान भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (BCBSI) के सहयोग से 20 दिसंबर, 2018 को इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट (IIBM) गुवाहाटी में बैंकर जागरूकता

सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य बैंकरों के बीच बैंकिंग शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की गतिविधियों तथा भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड की संहिताओं के कार्यान्वयन एवं बैंक ग्राहकों के अधिकारों के बारे में अपेक्षाकृत व्यापक स्तर वाली जागरूकता पैदा करना है। यह संगोष्ठी वर्तमान स्पर्धात्मक वातावरण में निरंतर व्यावसायिक विकास (CPD) के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहभागियों की सहायता करेगी।

परीक्षा शुल्क वसूल करने के नियमों में परिवर्तन

संस्थान ने 1 जुलाई, 2017 से सेवा कर के स्थान पर माल एवं सेवा कर (GST) प्रणाली अपना ली है। एसोसिएट, डिप्लोमा और मिश्रित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा शुल्क वसूल करने के पूर्ववर्ती नियम में यह निर्धारण था कि अभ्यर्थियों को दो प्रयासों के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान एक साथ करना होगा। माल एवं सेवा शुल्क प्रावधानों का पालन करने तथा कर भुगतान प्रबंधन को सरल बनाने के लिए शुल्क वसूल करने से संबन्धित नियम को पुनर्विन्यस्त किया गया है। अब संस्थान प्रत्येक प्रयास के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अलग-अलग वसूल करेगा। अतएव, अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रयास के लिए अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा।

बैंकों में क्षमता निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों में उपयुक्त योग्यता/प्रमाणन सहित कर्मचारियों को परिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भिक तौर पर उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किया है :

- खजाना प्रबंधन : व्यापारी, मिड आफिस परिचालन।

- जोखिम प्रबंधन : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-व्यापी जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम।
- लेखांकन – वित्तीय परिणाम तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य।
- ऋण प्रबंधन : ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन।

कालांतर में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने उपयुक्त संस्थाओं एवं ऐसे पाठ्यक्रमों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था, जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार में से तीन क्षेत्रों में उक्त प्रमाणन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि **भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे** सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा।

संस्थान द्वारा खजाना परिचालन, जोखिम प्रबंधन और ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें
ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है। लेखांकन और लेखा-परीक्षा पर पाठ्यक्रम आरंभ किया जा रहा है तथा इसके लिए पहली परीक्षा 15 जुलाई को आयोजित की जाने वाली है। परीक्षा हेतु पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in.देखें।

चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू. के. के साथ पारस्परिक मान्यता करार

संस्थान को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट, एडिनबर्ग, यू॰ के॰ के साथ पारस्परिक मान्यता करार हस्ताक्षरित होने की घोषणा करते हुये प्रसन्नता होती है। इस करार के अधीन भारत स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स के प्रमाणित सहयोगी (CAIIB) अपनी अर्हताओं को चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता

दिलवाएँगे तथा वे संस्थान के व्यावसायिकता, आचारशास्त्र एवं विनियम माड्यूल का अध्ययन करके और परावर्तक दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करके चार्टर्ड बैंकर बनने में समर्थ होंगे।

प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा में समाधान

संस्थान ने प्रौद्योगिकी पर आधारित कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण भी आरंभ कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

परीक्षा के लिए छद्म जांच सुविधा

संस्थान अपने प्रमुख पाठ्यक्रमों यथा जेएआईआईबी और सीएआईआईबी के अलावा अपने तीन विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमों नामत: प्रमाणित खजाना व्यावसायिक, प्रमाणित ऋण व्यावसायिक तथा वित्तीय सेवाओं में जोखिम के लिए छद्म जक्ष्च की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब छद्म जक्ष्च में किसी भी बैंक का कर्मचारी शामिल हो सकता है।

वीडियो व्याख्यान अब यूट्यूब पर उपलब्ध

संस्थान द्वारा जेएआईआईबी के तीन अनिवार्य प्रश्नपत्रों और सीएआईआईबी के दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों के लिए प्रदान की जाने वाली वीडियो व्याख्यान की सुविधा संस्थान के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी। उसके लिए लिंक है https:/ www.youtube.com/channel/UCjfflktvEh8yLb3vwxosGow/playlists”

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

इसके पूर्व संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने

के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता था। **<u>अब ऊपर वर्णित परीक्षाएँ प्रत्येक महीने के 1ले और 3रे शनिवारों को आयोजित की जाएंगी।</u>** अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in.पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंकों के लिए अभिज्ञात विषय-वस्तुएं निम्नानुसार हैं :

- पारस्परिक निधियाँ जनवरी - मार्च, 2019
- बैंकों में नीतिशास्त्र और कारपोरेट अभिशासन : अप्रैल - जून, 2019
- बैंकिंग में उभरते प्रौद्योगिकीय परिवर्तन: जुलाई - सितंबर, 2019

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों

और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दे।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का जर्नल

1॰ प्रकाशन स्थल	: मुंबई
2. प्रकाशन की आवधिकता	: मासिक
3. प्रकाशक का नाम	: डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
4. संपाद्क का नाम	: डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम	: आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 005
6. स्वामियों के नाम एवं पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

मैं, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

31-03-2017 डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 69228/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

6.5
6.4
6.3
6.2
6.1
6
5.9
5.8

मई, 2018, जून, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, **जून, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018**

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूज़लेटर, नवम्बर, 2018

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

100
95
90
85 अमरीकी डालर
80 **जीबीपी**
75 **यूरो**

70 **येन**
65
60
55
50

जून, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018
स्रोत : फाइनैन्सियल बैंचमार्क बोर्ड आफ इंडिया लिमिटेड (FBIL)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

18
16
14
12
10
8
6
4
2

मई, 2018, जून, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, नवम्बर, 2018

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

40000.00
38000.00
36000.00
34000.00
32000.00

30000.00
28000.00
26000.00

जून, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

16

17
15
13
11
9
7
5
3
1

मई, 2018, जुलाई, 2018, अगस्त, 2018, सितंबर, 2018, अक्तूबर, 2018, नवम्बर, 2018
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, नवम्बर, 2018

डा. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डा. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डा. जे. एन. मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,
किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070
टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.

वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन दिसम्बर, 2018